

Sl. No.	Loan Account No.	Name & Address of Borrower & Co-borrower	Name & Address Guarantor(s)
	HOU/HWR/0220/782670 B.O. HARIDWAR	Mahak Bisht & Ghanshyam Add:- Near Green Mido School, Tehri Visthapit Colony, Roshnabad, Haridwar, Uttarakhand-249403, India	NA
	HOU/HWR/1218/623080 B.O.	Premi Bai & Raju Singh Add:- B- 45, Chander Vihar, Uday Vihar, Delhi, New-	NA

दि फेडरल बैंक लि.

फेडरल बैंक

एमएस पॉलिमर लिमिटेड
(पूर्व में, साई मोड ऑटो लिमिटेड)
सीआईएन: L34100DL1985PLC020510
पंजीकरण: सी-582, सरस्वती विहार, पीतमपुरा,
दिल्ली-110034
ईमेल आईडी: polymersams@gmail.com
वेबसाइट: www.amspolymers.com
दूरभाष: 91-11-27032702 | फैक्स: 91-11-27032702

बोर्ड बैठक की सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 4 फरवरी, 2022 को कंपनी के पंजी. कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार भी 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनंतिम वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.amspolymers.com तथा बीएसई की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
ए एम एस पॉलिमर लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 28.01.2022
विराजीवी रामकृष्ण
कंपनी सचिव

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लि.
(CIN NO. L74993UP1990PLC015721)
पंजी. कार्यालय: 10.5 कि.मी. माइलस्टोन, रामपुर
बरेली रोड, रामपुर-242901 (उ.प्र.)
ई-मेल आईडी: info@indiantoners.com,
वेबसाइट: www.indiantoners.com
फोन नं: 0595-2356271
फैक्स नं: 0595-2356273

सूचना
सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 8 फरवरी, 2022 को आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अंतिम वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
यह सूचना कंपनी एवं स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट अर्थात् www.indiantoners.com तथा www.bseindia.com क्रमशः पर उपलब्ध है।
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली विशेष चतुर्वेदी
तिथि: 28.01.2022 कंपनी सचिव

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
टाटा पावर एवं दिल्ली सरकार का संयुक्त उपक्रम
रजि. ऑफिस: एनडीपीएल हाउस, इंदरान लाइन, फिरोज कला, दिल्ली-110009
फोन: 66112222 फैक्स: 27468042 ईमेल: TPDDL@tatapower-dli.com
CIN No. U40109DL2001PLC111526 वेबसाइट: www.tatapower-dli.com

निविदा सूचना आमंत्रित Jan 29, 2022
टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:-

निविदा पृष्ठताछ सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/क्षेत्र जमा राशि (₹)	बोली दस्तावेज की बिक्री	बोली जमा करने की अंतिम तारीख और समय/ निविदा खोलने की तारीख और समय
TPDDL/INS/ENQ/200001374/21-22 Tailormade Group Mediclaim Insurance Policy	NIL	29.01.2022	14.02.2022; 1400 Hrs/ 14.02.2022; 1530 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं शुद्धिपत्र दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website www.tatapower-dli.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

प्रपत्र बी
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया)
विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

मोदी टैलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड हितधारकों के ध्यानार्थ
विवरण

क्र.	कार्य का विवरण
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समापन तिथि
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरंभ तिथि
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर
9.	परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है
10.	परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, दिल्ली पीठ ने 24 जनवरी 2022 को मोदी टैलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
मोदी टैलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड के हितधारकों को इसको द्वारा 23 फरवरी 2022 को या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावे परिसमापक को क्रम संख्या 10 में उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तित्व, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
अस्तव्यस्त ब्राम्म प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।
हस्ता./-
दिनांक: 28.01.2022 अतुल मित्तल
स्थान: नई दिल्ली परिसमापक, मोदी टैलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड
पंजीकरण सं: IBB/PA-001/IP00439/2017-18/10762

दिल्ली जल
कार्यालय: का
लखन
संक्षिप्त एनआर
क्र.सं. कार्य का विवरण
1. एसीई (एन)-4 के अंतर्गत एन-04 में वास्तविक उद्योग मगर एनएमए.ए. तथा एनएमए.आई. इंटरियरल एनएमए. में डीकेवी सीड लानन के विरुद्ध नवीयों का ट्रेडिंग (सीडीटीपी में विनियमन) आई.सी. 2022 DJB 215492
इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाइट <https://govt>
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. जे.एस.सी. 1056(2021-22)
कोरोना से

बैंक ऑफ इंडिया BOI
Bank of India

कच्चे की सूचना (अचल संपत्ति जबकि अयोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अन्तर्गत तथा नियम 13(2) के संपठित प्रतिभूति दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक करके ऋणीओं (1) श्री. लाल कृष्ण, (2) 19.93.249.14 (रुपये उन्नीस लाख तिरान 31.03.2021 तक (30.03.2021 तक के ब्या के साथ, लागत, व्यय और अन्य आकस्मिक दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था ऋणी/गारन्टर द्वारा उक्त राशि की आदायगी साधारण को यह सूचना दी जाती है कि धारा 1 दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए 24 जनवरी 2022 को ले लिया है।
ऋणी/गारन्टर एवं जन साधारण को इस निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया, तिलक नगर दिल्ली-110018 के बकाया राशि रु. 19 हजार दो सौ उनचास और चौदह पैसे) 3 संहित) 31.03.2021 तक के अधिम ब्याज व शुल्क आदि।
अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रा लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान

अचल संपत्ति / च
डीडीए जनता फ्लैट नंबर 366 भूतल, पॉकेट-2 स्थित श्री लाल कृष्ण (उधारकर्ता) के नाम पर चौहददी:
उत्तर में: अन्य फ्लैट,
पूर्व में: फ्लैट नंबर 367,
दिनांक: 28.01.2022
स्थान: नई दिल्ली

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)
जबकि, अयोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोव्हाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रदान अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक मांग सूचना निर्गत की गई थी, जिसमें यानी कि सूचना में वर्णित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतुष्टिगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभूतिगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्वारा उधारकर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ 'आईआईएफएल-एचएफएल' को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में 'आईआईएफएल-एचएफएल' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और 'आईआईएफएल-एचएफएल' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयों कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा।
उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उक्त स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ 'आईआईएफएल-एचएफएल' को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, ऐसी स्थिति में 'आईआईएफएल-एचएफएल' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और 'आईआईएफएल-एचएफएल' द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयों कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम, शब्दा: दिल्ली	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (₹)	मांग सूचना की तिथि	कच्चा की तिथि
--	---	-----------------------	--------------------	---------------

वास्तु हाउसिंग
इकाई 203 एवं 204, इंदिरा नगर, न (पंजीयन),
सीआईएन : U65
2002 के प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा
जैसा कि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने मुख्य कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को सूचना जारी की जिन्होंने वीएचएफसीएल से के भुगतान के पुनर्भुगतान में चुक की और कथित सुविधाएं गैर-निष्पादन आस्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, भेजी गयी थी किन्तु उन्हें अनसुर्द्ध वापस कर दिया गया अतः उन्हें एतद्वारा जारी

कर्जदार का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि
ऋण खाता सं.	